

1	विभाग का नाम	लघु सिंचाई
2	योजना का नाम	गहरे बोरिंग
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	इस योजना के अन्तर्गत 60 मी० से अधिक गहराई के बोरिंग किये जाते हैं। कृषक को नलकूप की लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू० एक लाख जो भी कम हो का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त जल वितरण प्रणाली एवं 300 मीटर विद्युत लाईन की स्थापना पर क्रमशः 0.10 लाख एवं रू० 0.68 लाख कुल धनराशि रू० 1.78 लाख प्रति नलकूप अनुदान दिया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त श्रेणी के कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से खसरा व खतौनी की नकल सहित आवेदन
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://minorirrigationup.gov.in/">http://minorirrigationup.gov.in/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।